न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
जिला झुन्झुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी – मुकेश चौधरी, आर.ए.एस.

मुकदमा नंम्बर– 102 / 2025
GCMS No. 2025 / 197

शिव कुमार शर्मा पुत्र लालचन्द शर्मा जाति ब्राहमण निवासी अजीतपुरा पोस्ट गाडराटा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

........प्रार्थी

ब–ना–म

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

........अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती रिकार्ड

अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय :: **दिनांक :– 25.06.2025**

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम अजीतपुरा पटवार हल्का संजयनगर तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2073 लगायत 2076 हाल खाता 26 के हाल ख.नं. 74 रकबा 2.45 है. की प्रार्थी की दादी जानकी पत्नी भानीसहाय संयुक्त खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी की दादी का सही नाम जानकी पत्नी भानीसहाय है जो प्रार्थी की दादी के मृत्यु प्रमाण पत्र में दर्ज है। लेकिन उक्त वर्णित भूमि में प्रार्थी की दादी का नाम ज्यानकी पत्नी भानीसहाय दर्ज हो गया इस प्रकार प्रार्थी की दादी का नाम गलत दर्ज हो गयी जबकि सही नाम जानकी पत्नी भानीसहाय है। उक्त वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी की दादी का नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थी को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि प्रार्थी की दादी का नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थी व उसके भाई बहिनों के नाम विरासतन नामांतरकण दर्ज नहीं हो रहा है। इसलिए प्रार्थी को उक्त खातेदारी भूमि में अपनी दादी का नाम दुरूस्त करवाने बाबत यह प्रार्थनापत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम अजीतपुरा पटवार हल्का संजयनगर तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2073 लगायत 2076 हाल खाता सं. 26 के हाल ख.नं. 74 रकबा 2.45 है. में दर्ज प्रार्थी की दादी का नाम ज्यानकी पत्नी भानीसहाय के स्थान पर जानकी पत्नी भानी सहाय दर्ज किया जाकर रिकार्ड राजस्व में अमल दरामद करवाया जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी राज्य सरकार की ओर तहसीलदार खेतड़ी ने जरिये पत्र क्रमांकः भू.अ./2025/1270 दिनांक 26.05.2025 से पटवा[illegible] मण्डल संजयनगर की बिन्दुवार मूल रिपोर्ट भी संलग्न कर भिजवाई है जो [illegible] की गई।

प्रार्थी की ओर से अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में फोटो प्रति [illegible] प्रमाण पत्र जानकी देवी, नकल जमाबन्दी [illegible] खाता सं. 26 ग्राम अजी[illegible] फोटो प्रति

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2025.07.08 17:07:42 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

Scanned with OKEN Scanner

आधार कार्ड शिव कुमार शर्मा पेश किये गये तथा मौखिक साक्ष्य में शपथ पत्र शिव कुमार शर्मा पुत्र लालचन्द व धर्मपाल पुत्र प्रहलाद पेश किये।

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं पटवारी हल्का संजयनगर की रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पटवारी हल्का संजयनगर ने अपनी बिन्दुवार रिपोर्ट में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में चाहे गये अनुतोष को स्वीकार किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा की है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के मुताबिक प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम अजीतपुरा स्थित भूमि हाल खाता संख्या 26 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि **''ज्यानकी पत्नी भानीसहाय''** के स्थान पर **''जानकी पत्नी भानीसहाय''** दर्ज किया जाकर रिकार्ड राजस्व दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। उपरोक्त खाते में शेष प्रविष्टियां यथावत् रहेंगी। उक्तानुसार पालना हेतु तहसीलदार, खेतड़ी को इस आशय की तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक .....25.06.2025...... को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2025.07.08 17:07:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner